

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय

नई दिल्ली

08 जनवरी 2019

2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन सं. 21 - संघ सरकार 'संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी' संसद में प्रस्तुत

भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का प्रतिवेदन 2018 की लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 21 - 'संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी' संसद के दोनों सदनों में आज प्रस्तुत किया गया।

इस प्रतिवेदन में 31 मार्च 2017 को समाप्त संचार मंत्रालय व इलेक्ट्रॉनिकी व सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय तथा मंत्रालयों के अन्तर्गत विभागों/ सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमोंकी निष्पादन लेखापरीक्षा व अनुपालन लेखापरीक्षा से उदभूत महत्वपूर्ण लेखापरीक्षा निष्कर्ष है। इसमें चार अध्याय हैं। अध्याय I लेखापरीक्षित इकाइयों की रूपरेखा, व्यय का विश्लेषण, विभागों का वित्तीय निष्पादन तथा लेखापरीक्षा प्रतिवेदनों पर अनुवर्ती कार्रवाई के सम्बंध में है। अध्याय II, III व IV दूरसंचार विभाग, डाक विभाग व इन विभागों के अन्तर्गत सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रमों की लेखापरीक्षा से उदभूत लेखापरीक्षा परिणामों / टिप्पणियों से सम्बन्धित है।

प्रतिवेदन में कुछ महत्वपूर्ण परिणाम नीचे दिये गये हैं:

अध्याय-II दूरसंचार विभाग

"दूरसंचार विभाग में स्पेक्ट्रम प्रबंधन" पर लेखापरीक्षा

राष्ट्रीय दूरसंचार नीति (एनटीपी)2012केअनुसार, स्पेक्ट्रम प्रबंधन के प्रमुख उद्देश्यों में से एक स्पेक्ट्रम का पुर्नसुधारकरना था औरसमय समय पर सेवा प्रदाताओं को वैकल्पिक आवृत्ति बैंड या मीडिया आबंटित करना था,ताकि टेलीकॉम अनुप्रयोगों के लिए नई प्रौद्योगिकियों की शुरुआत के लिए स्पेक्ट्रम उपलब्ध हो सके। प्रत्येक पाँच वर्षों में अतिरिक्त स्पेक्ट्रम की उपलब्धता के लिए एक रोड मैप तैयार करना भी अपेक्षित था। भारत में जी एस एम आधारित मोबाइल (सेलुलर) सेवाओं (2जी/2.5जी) के लिये कुल आबंटित स्पेक्ट्रम 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2X25 मेगाहर्ट्ज व 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 2x75 मेगाहर्ट्ज है । 900 मेगाहर्ट्ज बैंड का 2x6.2 मेगाहर्ट्ज अभी तक रक्षा सेवाओं द्वारा उपयोग किया जा रहा था। 900 मेगाहर्ट्ज में स्पैक्ट्रम को पुर्नसुधार करने के लिए दूरसंचार विभाग ने किसी कार्रवाई/मंत्रणा की शुरुआत नहीं की। रक्षा सेवाओं द्वारा ऐसे बैंड में स्पेक्ट्रम का लगातार उपयोग होने के परिणामस्वरूप पूरे राष्ट्र को अवसर लागत की हानि हुई।

पैराग्राफ 2.1.7.1

रेलवे को 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में सात रेलवे ट्रैक पर 1.6 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का आबंटन किया गया था। दूरसंचार सेवाओं के लिये वाणिज्यिक उपयोग हेतु स्पेक्ट्रम की आवश्यकता में वृद्धि का विचार करते समय, दूरसंचार नियामक प्रधिकरण (ट्राई) ने स्पेक्ट्रम से सम्बन्धित मामलों पर दिनांक 13 मई 2005 व 11 मई 2010 को अपनी सिफारिशों में, 900 मेगाहर्ट्ज में स्पेक्ट्रम पुर्नसुधारकरने की सिफारिश की थी। यद्यपि, भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने दूरसंचार उपयोग के लिये 900 मेगाहर्ट्ज में रेलवे को सौंपे गये स्पेक्ट्रम को पुर्नसुधार करने हेतु बार-बार महत्व दिया था, लेकिन दूरसंचार विभाग ने इस संबंध में कोई कार्रवाई नहीं की थी। इस स्पेक्ट्रम का कार्यभार दूरसंचार आपरेटरों को शीघ्र सौंपे जाने में बाधा पड़ी, जिससे स्पेक्ट्रम का सर्वोत्तम उपयोग बुरी तरह प्रभावित हुआ।

पैराग्राफ 2.1.7.2

गार्ड बैंड एक संकीर्ण आवृत्ति रेंज है जो बृहत आवृत्ति की दोरेंज को अलग करता है। 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड के सामंजस्य के दौरान, दूरसंचार विभाग ने 0.2 मेगाहर्ट्ज गार्ड बैंड (बैंड के प्रत्येक तरफ 0.1 मेगाहर्ट्ज अर्थात कुल 55 मेगाहर्ट्ज बैंड के प्रारम्भ व अंत में) तथा सभी 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्रों में इस स्पेक्ट्रम बैंड के मध्य में 0.2 मेगाहर्ट्ज के लिए एक अतिरिक्त गार्ड बैंड की व्यवस्था की थी। यह भी देखा गया था कि दूरसंचार विभाग द्वारा विचारित 0.2 मेगाहर्ट्ज के अतिरिक्त गार्ड बैंड (आवृत्ति चिह्न) का स्थान एक लाइसेंस सेवा क्षेत्र से दूसरे लाइसेंस सेवा क्षेत्र में भिन्न था। नीलामी के लिये रखे गये 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 4.4 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम के अतिरिक्त गार्ड बैंड (प्रत्येक 22 लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 0.2 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम) पर विचार नहीं किया गया था जिससे यह स्पेक्ट्रम जो कि प्रधान बैंड है, अप्रयुक्त रहा। दूरसंचार विभाग द्वारा अतिरिक्त गार्ड बैंड के प्रावधान की समीक्षा की आवश्यकता है।

पैराग्राफ 2.1.8.1

दूरसंचार विभाग ने (मार्च 2013) में सी डी एम ए आपरेटरों द्वारा 2.5 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम रखने पर एकबारगी स्पेक्ट्रम प्रभार निर्धारित किया गया था और मार्च 2013 में टाटा टेलीसर्विसेस लिमिटेड/टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड को ` 1152.68 करोड़ का मांग पत्र जारी किया था। दूरसंचार विभाग के आदेशानुसार एकबारगी स्पेक्ट्रम प्रभार का भुगतान करने के लिए अनिच्छुक लाइसेंसधारी 2.5 मेगाहर्ट्ज से अधिक स्पेक्ट्रम को वापस लौटा सकते थे। टाटा टेलीसर्विसेस लिमिटेड/टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड ने महाराष्ट्र व आन्ध्र प्रदेश प्रत्येक में 2.5 मेगाहर्ट्ज तथा कोलकाता, चेन्नई, बिहार, गुजरात, हरियाणा, कर्नाटक, केरल, पंजाब, राजस्थान, उत्तर प्रदेश (पूर्व) उत्तर प्रदेश (पश्चिम) में विरोध के अन्तर्गत (अप्रैल 2013) 1.25 मेगाहर्ट्ज के सी डी एम ए स्पेक्ट्रम वापस भी कर दिये। टाटा टेलीसर्विसेस लिमिटेड/टाटा टेलीसर्विसेस (महाराष्ट्र) लिमिटेड ने दिल्ली और मुम्बई में 1.25 मेगाहर्ट्ज भी वापस कर दिये थे और 3.75+3.75 मेगाहर्ट्ज को अपने पास रखा था तथा विरोध के अन्तर्गत दिल्ली और मुम्बई के संबंध में एकबारगी स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में ` 62.91 करोड़ की पहली किश्त का भुगतान किया। टाटा टेलीसर्विसेस लिमिटेड द्वारा लौटाये गये स्पेक्ट्रम का वार्षिक मूल्य ` 127.33 करोड़ बनता था लेकिन इसकी नीलामी नहीं की गयी।

बी एस एन एल को 2000 और 2003 के दौरान इसके सभी सेवा क्षेत्रों में 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में 6.2 मेगाहर्ट्ज का शुरूआती स्पेक्ट्रम आबंटित किया गया था। बाद में, यह 2004 से 2007 के दौरान 900 मेगाहर्ट्ज बैंड में अतिरिक्त 1.8 मेगाहर्ट्ज, गुजरात में 1.2 मेगाहर्ट्ज, राजस्थान व पश्चिम बंगाल में 1.8 मेगाहर्ट्ज तथा 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में पंजाब को छोड़कर शेष 15 लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 3.8 मेगाहर्ट्ज आबंटित किया गया था। दूरसंचार विभाग के एकबारगी स्पेक्ट्रम प्रभार की उगाही के आदेश के बाद ही बी एस एन एल ने (जनवरी 2013) में 15 लाइसेंस सेवा क्षेत्र में 1800 मेगाहर्ट्ज बैंड में 1.8 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम लौटाने का प्रस्ताव किया। हालाँकि दूरसंचार विभाग ने अभी तक (मार्च 2018) बी एस एन एल द्वारा लौटाने जाने हेतु प्रस्तावित अतिरिक्त स्पेक्ट्रम वापस नहीं लिया जिसका वित्तीय प्रभाव ` 520.79 करोड़ का है।

पैराग्राफ 2.1.9.1 तथा 2.1.9.2

दूरसंचार विभाग ने लाइसेंस एवम् प्राधिकरणों की विभिन्न श्रेणियों को शामिल करते हुए स्पेक्ट्रम प्रयोक्ताओं की विभिन्न श्रेणियों में स्पेक्ट्रम के आबंटन/दिये गये स्पेक्ट्रम की जांच के लिए दिसम्बर 2012 में एक समिति गठित की थी। समिति ने प्रस्ताव दिया था कि सभी सेवा प्रदाता के लिए माइक्रोवेव बैंड में स्पेक्ट्रम आबंटन बाजार संबंधित प्रक्रिया (नीलामी) द्वारा आबंटित होना चाहिए। तथापि, माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम का आबंटन अब तक पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया गया था। यद्यपि अन्य बैंड में कैरियर उपलब्ध थे तथा निम्नतर बैंड (13/15 गीगाहर्ट्ज) में माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम की प्रचार विशेषताओं को उच्चतर बैंड(18/21 गीगाहर्ट्ज और उससे अधिक) के मुकाबले बेहतर बताया गया था, दूरसंचार विभाग ने एक्सेस सेवा प्रदाताओं को माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम का आबंटन जून 2010 से रोक दिया था। उपलब्धता के बावजूद भी एक्सेस सेवा प्रदाताओं को माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम के आबंटन न करने से सरकार को राजस्व की हानि हुई।

पैराग्राफ 2.1.10

नई दूरसंचार नीति -1999 में, तत्कालीनसेलुलर मोबाइल लाइसेंसधारकों को 01 अगस्त 1999 से एक निश्चित लाइसेंस शुल्क नियम से राजस्व हिस्सेदारी व्यवस्था में हस्तांतरित करने की अनुमति थी। राजस्व हिस्सेदारी को माइक्रोवेव एक्सेस/बैंकबोन स्पेक्ट्रम के लिए भी उनके समायोजित सकल राजस्व के निश्चित प्रतिशतता के रूप में किया जाना था। तथापि, राष्ट्रीय लम्बी दूरी और अंतर्राष्ट्रीय लम्बी दूरी नेटवर्क के माइक्रोवेव एक्सेस / बैंकबोन स्पेक्ट्रम और सैटेलाइट स्पेक्ट्रम के लिए स्पेक्ट्रम प्रभार अभी भी राजस्व हिस्सेदारी (अर्थात समायोजित सकल राजस्व की प्रतिशतता) के आधार के बजाय फारमूला आधार पर लगाए गए थे, जैसा कि सेलुलर नेटवर्क के माइक्रोवेव एक्सेस स्पेक्ट्रम के लिए किया जा रहा था, जो दूरसंचार विभाग में अनुरूपता नीति का ना होना इंगित करता है।

पैराग्राफ 2.1.10.1

राष्ट्रीय आवृत्ति रजिस्टर सभी प्रकार की दी जाने वाली आवृत्ति के लिए एक मूलभूत अभिलेख है और इसे किसी भी नए आवेदक के लिए आबंटित योग्य आवृत्ति की पहचान के लिए संदर्भित किया जाता है। बेतार योजना समन्वय ने (जनवरी 2005) में "स्वचालित स्पेक्ट्रम प्रबंधन प्रणाली" नामक प्रणाली लागू की जो कि आवेदन, असाइनमेंट, चैनल योजना, रेडियो आवृत्ति

आबंटन के स्थायी सलाहकार समिति के निपटान आदि की आवश्यकताओं को पूर्ण करती है। स्वचालित स्पेक्ट्रम प्रबंधनप्रणाली में राष्ट्रीय आवृत्ति रजिस्टर को नई आवृत्ति तथा/अथवा पूर्व दी गई आवृत्ति के लौटाये जाने/ वापिस करने के समय पर अद्यतन नहीं किया जा रहा था।

पैराग्राफ 2.1.11.1

रेडियो आवृत्ति स्पेक्ट्रम की निगरानी रेडियो संचार को शासित करने के नियामक के अनुपालन के प्रावधानों को सुनिश्चित करने के लिए की जाती है और राष्ट्रीय या विदेशी स्टेशनों द्वारा इन प्रावधानों के उल्लंघन करने पर हस्तक्षेप किया जाता है। तथापि, बेतार निगरानी मुख्यालय, क्षेत्रीय मुख्यालय और न ही अंतर्राष्ट्रीय निगरानी मुख्यालय/बेतार निगरानी स्टेशन निरीक्षण यूनिट ने 2009-10 से बेतार लाइसेंस का बेस व आवृत्ति के आबंटनका अद्यतन नहीं किया था।

पैराग्राफ 2.1.11.2

2004-05 के आस पास विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित परियोजना के अधीन सभी बेतार निगरानी स्टेशनों में विभिन्न प्रकार की निगरानी गतिविधियों के लिए वृहत संख्या में उपकरणों/मोबाइल निगरानी प्रणाली की आपूर्ति की गई थी। ये उपकरण/मोबाइल निगरानी प्रणाली वाहन खराब हो गए और वर्षों तक खराब स्थिति में पड़े रहे।

पैराग्राफ 2.1.11.3

स्थान की कमी के कारण अति उच्च आवृत्ति और परा उच्च आवृत्ति बैंड में मोबाइल निगरानी कार्य आवश्यक हैं। वर्ष 2005 और 2007 के मध्य मुख्य विश्व बैंक सहायता प्राप्त राष्ट्रीय रेडियो स्पेक्ट्रम प्रबंधन तथा निगरानी प्रणाली परियोजना के तहत मंहगे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों से सुसज्जित 21 मोबाइल निगरानी वाहन खरीदे गए तथा सभी 21 बेतार निगरानी स्टेशन/अन्तर्राष्ट्रीय निगरानी स्टेशन केन्द्र में प्रत्येक एक वाहन प्रदान किया गया था। तथापि 75 प्रतिशत से अधिक वाहनों का उपयोग दोषपूर्ण उपकरण/वाहन तथा चालकों की अनुपलब्धता के कारण मोबाइल निगरानी के लिए नहीं किया जा सका।

पैराग्राफ 2.1.11.4

क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालयों (आर एल ओ) को बेतार लाइसेंस जारी/ प्रदान करना व इस प्रकार के लाइसेंस को नवीनीकरण किया जाना, हस्तांतरित कर दिया गया था। तथापि तीन क्षेत्रीय लाइसेंस कार्यालय कोलकाता, गुवाहाटी व चेन्नई ने विभिन्न श्रेणियों में जारी किये / नये बनाये गये लाइसेंस के डेटाबेस नहीं रखे थे। इसके अतिरिक्त लाइसेंस की वैधता अवधि की समाप्ति के बाद की अवधि के लिये नवीनीकरण प्रभार 2660 प्रकरणों में संग्रहीत नहीं किये गये थे यद्यपि लाइसेंस काफी पहले समाप्त हो गये थे।

पैराग्राफ 2.1.11.6

यद्यपि मार्च 2011 में इंस्टीट्यूट ऑफ एड्वांसड रेडियो स्पेक्ट्रम इन्जिनियरिंग एंड मैनेजमेंट स्टडीज को स्थापित करने के लिये नींव इस उद्देश्य से रखी गई थी कि वर्तमान व भविष्य में स्पेक्ट्रम का बेहतर उपयोग प्राप्त करने के लिये कुशल स्पेक्ट्रम योजना व अभियांत्रिकी सुनिश्चित की जा सके परन्तु संस्था की स्थापना पर कोई प्रगति नहीं हुई थी। दूरसंचार विभाग

द्वारा संस्थान की आवश्यकता की समीक्षा की जानी चाहिए क्योंकि दूरसंचार विभाग का स्वयं का दूरसंचार प्रौद्योगिकी विकास केन्द्र अर्थात् सेन्टर फार डवलवमेन्टआफ टेलीमेटिक्स के अतिरिक्त भारतीय प्रौद्योगिकी संस्था में दूरसंचार के लिये उत्कृष्ट केन्द्र पहले से मौजूद है।

पैराग्राफ 2.1.12.1

केन्द्र सरकार के संगठनों/ मंत्रालयों/ विभागों को अपने बेतार नेटवर्क के लिए लाईसेंस शुल्क व रॉयल्टी प्रभार (स्पेक्ट्रम प्रभार) के भुगतान से छूट 01 जून 2004 से दी गयी थी। राज्य पुलिस संगठनों को स्पेक्ट्रम उपयोग पर रायल्टी प्रभार से छूट दी गई थी, तथापि उनको भी स्पेक्ट्रम के लिए लाईसेंस शुल्क का भुगतान करना अपेक्षित था। दूरसंचार विभाग ने 01 जून 2004 से मौजूदा निश्चित फार्मूला के अनुसार सरकारी विभागों/ संगठनों सहित सभी बेतार उपयोगकर्ताओं से स्पेक्ट्रम के लिये प्रभार लगाने का निर्णय किया (अप्रैल 2004)। इसके अलावा कैप्टिव उपयोगकर्ताओं के लिये स्पेक्ट्रम प्रभार (रॉयल्टी) को अप्रैल 2012 से संशोधित किया गया है। 35 राज्य पुलिस संगठन और आठ केन्द्रीय अर्धसैन्य बल (सी पी एम एफ) के लिए स्पेक्ट्रम सौपा गया था। स्पेक्ट्रम प्रभार लगाने का निर्णय अप्रैल 2004 में लिया गया था लेकिन 13 वर्ष बीत जाने के बाद भी केवल 20 राज्य पुलिस संगठन और केन्द्रीय अर्धसैन्य बल के संबंध में अधिकृत आवृत्ति का समाधान किया जा सका। इन 20 राज्य पुलिस संगठन और केन्द्रीय अर्धसैन्य बल के संबंध में 01 जून 2004 से पहले सौंपे गये स्पेक्ट्रम के लिए 2004-14 की अवधि के लिए कुल स्पेक्ट्रम प्रभार ` 163.58 करोड़ और विलम्ब शुल्क ` 284.11 करोड़ लगाया गया था। इन राशियों में से केवल ` 100.86 करोड़ प्राप्त हुए। 01 जून 2004 से 31 मार्च 2012 के दौरान दो राज्य पुलिस संगठनों और केन्द्रीय अर्धसैन्य बलों को सौंपे गये स्पेक्ट्रम के संबंध में ` 64.20 करोड़ स्पेक्ट्रम प्रभार के रूप में और ` 85.60 करोड़ विलम्ब शुल्क के रूप में लगाया गया था जिसमें से केवल ` 13.93 करोड़ प्राप्त हुए हैं।

पैराग्राफ 2.1.12.2

कैबिनेट के नोट “रक्षा बैंड और रक्षा इंटरैस्ट जोन” के संदर्भ में, जिसे कैबिनेट ने 21 जनवरी 2015 को अनुमोदन दे दिया था, रक्षा द्वारा दिए गये स्पेक्ट्रम प्रभारों की छूट के लिए एक अलग प्रस्ताव कैबिनेट के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाना था। हालाँकि रक्षा बलों के लिये स्पेक्ट्रम प्रभार को माफ करने का कोई प्रस्ताव कैबिनेट से अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है।

पैराग्राफ 2.1.12.3

निजीप्रयोगकर्ताओं के साथ-साथ सरकारी कैप्टिवप्रयोगकर्ताओं के लिए स्पेक्ट्रम मुख्य रूप से स्पेक्ट्रम बैंड 806 मेगाहर्ट्ज के नीचे आबंटित किया जाता है। बेतार योजना समन्वय द्वारा स्पेक्ट्रम प्रभारों की वसूली की समीक्षा के लिए व कैप्टिव प्रयोगकर्ताओं से राजस्व की समय पर वसूली हेतु नियमित रूप से मांग करने के लिए कोई तंत्र उपलब्ध नहीं था। यह प्रयोगकर्ताओं की मर्जी पर था कि वे स्वयं ही स्पेक्ट्रम प्रभार अदा करे अथवा लाईसेंस के नवीनीकरण/लौटाने के लिए जब कभी भी बेतार योजना समन्वय से सम्पर्क करे तो बेतार योजना समन्वय मांग करे।

पैराग्राफ 2.1.12.4

डाक विभाग में कोर बीमा समाधान (सी आई एस) का लेखापरीक्षा

डाक विभाग में आईटी आधुनिकीकरण परियोजना के तहत "कोर इंश्योरेंस सॉल्यूशन" का एक ऑडिट किया गया था और सिस्टम में निम्नलिखित बड़ी कमियां देखी गई थीं:

कार्यात्मक त्रुटियां जैसे बीमाधारक की चिकित्सा जांच, समाप्त पॉलिसियों को पुनः तैयार करने, एजेन्सी प्रबंधन सिस्टम तथा कार्य प्रवाह पद्धतियों विशेष प्रावधान होने के बावजूद भी सिस्टम में थीं। समर्पण मूल्य, छूट व ब्याज की गणना करने से सम्बन्धित त्रुटियां थी जिससे हस्तचालित हस्तक्षेप करना पड़ा। पी ओ एल आई नियमावली में किये गये परिवर्तन को कोर बीमा समाधान (सी आई एस) साफ्टवेयर में आवश्यक संशोधन द्वारा शीघ्र शामिल नहीं किया गया था।

सी आई एस का सी बी एस के साथ एकीकरण ना होने के कारण न तो बीमाधारक स्वः हस्तांतरण द्वारा प्रीमियम/लोन की राशि का भुगतान कर सकता था और न ही विभाग उसके पी ओ एस बी खाते में पूर्ण अवधि का मूल्य/ऋण क्रेडिट कर सकता था। सिस्टम में कार्यात्मकता पर मल्टीपल लॉग आन, सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर को अप्रतिबंधित अधिकार/विशेषाधिकार, यूजर लॉग व लेखापरीक्षा मार्ग की गैर-उपलब्धता जैसी, आई टी त्रुटियां थी। , जैसे क्षेत्रों में कार्यात्मक त्रुटियां सिस्टम में थीं। बहुतायत में अपलोड करने की सुविधाओं में अपर्याप्त आई टी नियंत्रण, प्रीमियम निरस्त करने में पर्यवेक्षण नियंत्रण की कमी, सस्पेंस रखरखाव में अपर्याप्त नियंत्रण तथा धोखाधड़ी प्रबन्धन प्रणाली की कार्यात्मकता में कमी थी। सी आई एस एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर लोड न होने के कारण आपदा पुनरुत्थान केन्द्र गैर कार्यात्मक था। पोर्ट ब्लेयर मुख्यालय व सैन्य डाक सेवा (ए पी एस) में सी आई एस को रोल आउट नहीं किया गया था यूनिक कस्टमर आई डी नहीं बनाई गई थी इसका परिणाम यह हुआ कि बीमाधारक के लिये बीमाकृत राशि पर वित्तीय सीमा में नियंत्रण आधारित आवश्यक सिस्टम लागू करने में विफलता हुई।

पैराग्राफ 3.1

डाक विभाग में नकद प्रमाण पत्रों का भंडारण

इंडिया सिक्योरिटी प्रेस (आई एस पी) नासिक से प्राप्त नकद प्रमाण पत्रों (सी सी) का सर्कल स्टैम्प डिपो (सी एस डी) द्वारा दिये गये मांग पत्रों से मिलान न होने के कारण नकद पत्रों की अधिक प्राप्ति व परिणामतः सी एस डी में नकद प्रमाण पत्रों का संग्रहण हुआ। चूंकि सी एस डी में प्रमाण पत्रों के अवधारण में दुरुपयोग की सम्भावना होती है, डाक विभाग को शीघ्र कार्रवाई करने की आवश्यकता है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी बिना विक्रय किये गये प्रमाण पत्र सही निपटान के लिये आई एस पी नासिक को प्राप्त हो गये हैं।

अध्याय IV मंत्रालय के आधीन सार्वजनिक क्षेत्र उपक्रम

भारत के पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) द्वारा प्रदान की गई दूरसंचार सेवार्यें

सितम्बर 2014 में मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदितव्यापक दूरसंचार विकास योजना (सी टी डी पी) को पूर्वोत्तर क्षेत्र (एन ई आर) में लागू करने में भारत संचार निगम लिमिटेड (बी एस एन एल) विफल रहा। यह सी टी डी पी के अंतर्गत प्रमुख निविदाओं के विफल होने के कारण हुआ जैसा कि नीचे दिया गया है:-

- अप्रैल 2016 में `1460 करोड़ की अनुमानित परियोजना लागत से अनावृत गाँवों को कवरेज प्रदान करने के लिए 2 जी ग्लोबल सिस्टम फॉर मोबाइल (जी एस एम) नेटवर्क के सर्वेक्षण, योजना, आपूर्ति, स्थापना, परीक्षण, कमीशन, उपलब्ध कोर नेटवर्क के साथ एकीकरण तथा बहुत छोटे एपर्चर टर्मिनल (वी सैट), हब और रेडियो बैकहॉल के साथ, पाँच वर्षों के लिए संचालन एवं रखरखाव से संबंधित निविदा।
- फरवरी 2015 में सी जी एम टेलीकॉम स्टोर्स कोलकाता द्वारा जारी भूमिगत केबल (यू जी केबल), केबल डक्ट्स को लगाने से संबंधित निविदा तथा फरवरी 2015 में बी एस एन एल कार्पोरेट कार्यालय द्वारा डेन्स वेवलेन्थ डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग (डी डब्ल्यू डी एम) उपकरणों की खरीद के लिए निविदा।

इस प्रकार, उपरोक्त, दो प्रमुख निविदाओं की विफलता के कारण सी टी डी पी का उद्देश्य अर्थात् अनावृत पूर्वोत्तर क्षेत्रों में 2जी कवरेज का रोल आउट तथा ऑप्टिकल फाइबर केबल रिंग कनेक्टिविटी के साथ ट्रांसमिशन मीडिया की वृद्धि अभी प्राप्त की जानी बाकी है।

क्षेत्रीय ट्रंक योजना समिति (आर टी पी सी) (अप्रैल 2008 और जून 2014) ने असम, पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II परिमंडलों में पुनर्वास कार्यों के लिए 116 ओ एफ सी मार्गों को मंजूरी दी थी। उत्तर पूर्व कार्य बल (एन ई टी एफ), गुवाहटी द्वारा कार्यों को निष्पादित किया जाना था। अब तक असम में कार्य प्रगति 10 प्रतिशत थी और पूर्वोत्तर-I और पूर्वोत्तर-II परिमंडलों में शून्य थी तथा देरी 3 से 10 वर्ष के बीच थी। दूरसंचार विभाग ने बताया कि दूरसंचार विभाग/यू एस ओ फंड ने सीमा व नक्सल प्रभावी क्षेत्रों में मोबाइल सेवाओं के प्रावधान के लिये निधि का प्रस्ताव नहीं दिया। गृह मंत्रालय ने 2014 में ही पूर्वोत्तर क्षेत्र की सीमा क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं में सुधार करने के प्रस्ताव के बावजूद इस पर कोई प्रगति नहीं हुई, जिसके परिणामस्वरूप पड़ोसी देशों के सिग्नलों का प्रयोग नागरिक कर रहे हैं। यह राष्ट्रीय सुरक्षा/अर्थव्यवस्था के लिये एक खतरा है।